



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269265
CG-DL-E-12012026-269265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 147(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट भूमि के खण्ड के संबंध में बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 327E के कि०मी० 134.00 से कि०मी० 136.00 तक के भूखण्ड (भरगामा वक्र सुधार) के निर्माण (चौड़ीकरण/2 लेन/पेव्ड शोल्डर बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबन्धन और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 327E के कि०मी० 134.00 से कि०मी० 136.00 तक (भरगामा वक्र सुधार) सड़क निर्माण (चौड़ीकरण/2 लेन/पेव्ड शोल्डर) के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , सुपौल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH327E के कि.मी 134 से कि.मी 136 तक	बिहार	सुपौल	त्रिवेणीगंज	1 नन्दना

[फा. सं. RW/PAT/NH/327E/KM134-KM136/LA/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 147(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Road maintenance management & operation from km- 134.00 to km- 136.00 (Bhargama Geometric Improvement section) of the National Highway No. 327E in the State of Bihar as Specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.- 327E from km 134.00 to km 136.00 (Bhargama Geometric Improvement section) of the National Highway No. 327E in district Supaul in the State of Bihar.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DLAO, Supaul	NH327E KM 134 TO KM 136	BIHAR	SUPAUL	Triveniganj	1 Nandana

[F. No. RW/PAT/NH/327E/KM134-KM136/LA/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director